

राम शं. शंभु खारोल
बि. मेरुनी खेड़ा

बनारस लेखक शं. ज्योति शर्मा
बि. मेरुनी खेड़ा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा

188

नं० 96

सं० 21


सहायक हुकूम

हुकूम या कार्यवाही का इनिशियल्स

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकूम की आदेश
में जारी हुआ

क्रमांक

वादी/वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री S.K. Jain
द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 R.T.A. के
तहत प्रस्तुत किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर
प्रतिवादी/ प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर मिसल
दिनांक 13/8/2021 को पेश हो।



सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

13/8/21

मिसल प्रेषण। वादी अधिवक्ता उपा.।
वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत
धारा 188 में कोई कार्यवाही नहीं चलाने
की सूचना पर Not Press का कथन
किया। अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा
188 R.T.A. में कोई कार्यवाही नहीं
चलाने एवं Not Press करने से
वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया
जाता है।

Not Press
Sunil Kumar
Acl. वासी

पत्राचार के माध्यम से
नम्बर 8 का है


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)